

Paper III

टिप्पणी और मसौदा लेखन, सार लेखन

NOTING AND DRAFTING, PRECIS WRITING

निर्धारित समय : तीन घंटे

Time Allowed : **Three Hours**

अधिकतम अंक : 200

Maximum Marks : 200

प्रश्न-पत्र के लिए विशेष अनुदेश

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें।

चार प्रश्न हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में छापे गए हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रश्न संख्या 3 के तीन भाग हैं, जिनमें से दो भाग करने हैं।

प्रश्न संख्या 4 के छः भाग हैं, जिनमें से चार भाग करने हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अधिकतम अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम (अंग्रेज़ी या हिन्दी) में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

जहाँ भी प्रश्नों में शब्द-सीमा विनिर्दिष्ट है, उसका पालन करना आवश्यक है।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए पृष्ठ या पृष्ठ के भागों को सफाई से काट देना चाहिए।

आप किसी भी उत्तर में अपना परिचय प्रकट न कीजिए।

नोट: आपका तथा आपके कार्यालय का नाम, अनुक्रमांक अथवा पता प्रश्नों के उत्तर लिखते समय अज्ञात रहना चाहिए। उत्तरों में यदि आवश्यक हो तो उपर्युक्त के लिए XXXX या YYYY या ZZZZ इत्यादि का उपयोग करें।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

There are four questions printed both in **Hindi** and in **English**.

All questions are compulsory.

Question no. 3 has **three** parts out of which **two** are to be attempted.

Question no. 4 has **six** parts out of which **four** are to be attempted.

The number of marks carried by a question / part is indicated against it.

Answers must be written in the medium (**English** or **Hindi**) as authorized in the Admission Certificate and this medium must be stated clearly on the cover page of the Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the QCA Booklet must be clearly struck off.

You must not disclose your identity in any of your answers.

Note: The name of your office or your name, roll number or address must not be disclosed anywhere in the answers.

Use XXXX or YYYY or ZZZZ etc. in case any of the above are required in answers.

Q1. निम्नलिखित लेखांश का एक-तिहाई शब्दों में संक्षेपण कीजिए एवं उसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक भी सुझाइए :

Please make a precis of the following passage in about one-third of its length and suggest a suitable title for it :

50

इस देश का लगभग प्रत्येक नागरिक वस्तुओं अथवा सेवाओं या दोनों का उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए उन्हें देश में एक सशक्त लॉबी बना लेनी चाहिए थी और उन्हें एक ऐसी ताकत के रूप में उभरना चाहिए था ताकि वस्तु आपूर्तिकर्ता और सेवा प्रदाता भी उनका ध्यान रख सकें। उनके संदर्भ में आवाज उठाने वाले प्रभावी संगठन और सामंजस्य के अभाव में भारत में एक उपभोक्ता कुल मिलाकर गैर-प्रातिनिधिक, मूक और दंतहीन रहा है। उसे जो मिला उसने स्वीकार कर लिया। पिछले कुछ वर्षों में, जैसा कि बाज़ार का विस्तार हुआ है प्रतिस्पर्धा के कुछ तत्त्व और खुदरा क्षेत्र में चयन के कारण धनी और उच्च-मध्य वर्ग के उपभोक्ताओं के पक्ष में चीज़ें कुछ बदल सकती हैं। तथापि औसत मध्य वर्गीय उपभोक्ताओं और गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं की स्थिति कुल मिलाकर दयनीय रही है क्योंकि उनकी शिकायतों को सुनने और शिकायतों के निवारण के लिए व्यावहारिक रूप में कोई तंत्र नहीं है।

1976 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि उपभोक्ता संरक्षण समाज की आवश्यकता थी। उसमें कहा गया है : “हम आशा करते हैं कि सतर्क विधायिका, कानून और छोटे आदमी की ओर से खुद को सक्रिय करेगी और बहुत गतिमान तथा आसानी से सुलभ और निःशुल्क उपभोक्ता संरक्षण उपाय करेगी।”

हालाँकि उपभोक्ता आंदोलन भारत में सन 1960 के दशक में विकसित होने लगा था पर इसने 1980 के दशक के अंत में एक निश्चित आकार ग्रहण करना शुरू किया। 1982 में उपभोक्ता संरक्षण पर एक एशियाई संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें एशियाई देशों के 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस ऐतिहासिक उपभोक्ता आंदोलन को ध्यान में रखते हुए भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने उपभोक्ता संरक्षण को राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया और राष्ट्रीय कार्यसूची के रूप में रखा। पहली बार उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके परिणामस्वरूप संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) बनाया गया। 1988 तक जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य-स्तरीय आयोग और उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय आयोग का एक त्रिस्तरीय ढाँचा कायम किया गया।

हमारे देश का कटु यथार्थ यह है कि आम आदमी के लिए अभियोग बहुत महंगा और समय लेने वाला है और इसलिए न्याय पाना उसके लिए दुःस्वप्न के अनुभव की तरह है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आम आदमी के बचाव के लिए लाया गया है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए लगभग उसके दरवाजे तक अपेक्षाकृत सस्ता और त्वरित न्याय का मंच उपलब्ध करवाया गया है। आरंभ में, लगभग दो दशकों तक, कोई न्यायालय शुल्क नहीं था। अब, हालाँकि शिकायत दर्ज करने के लिए मामूली शुल्क का प्रावधान किया गया है। शिकायतकर्ता को किसी वकील की सेवाएँ लेने की आवश्यकता नहीं है और एक मेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत निपटान के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान है और प्राविधिकता से दूर रखा गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख लक्ष्य उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण और प्रोत्साहन करना है, जैसे :

(a) उन उत्पादों से सुरक्षा जो जीवन तथा संपत्ति को हानि पहुँचा सकती हैं;

- (b) उत्पादों की गुणवत्ता, मात्रा, प्रभाव, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे में जानने का अधिकार जिससे कि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाया जा सके;
- (c) जहाँ भी संभव हो वहाँ प्रतियोगात्मक मूल्यों पर विभिन्न उत्पादों तक पहुँच के प्रति आश्वासित होने का अधिकार;
- (d) सुनवाई और इस आश्वासन का अधिकार कि उचित मंचों पर उपभोक्ता के हितों को उपयुक्त ध्यान दिया जाएगा;
- (e) अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार पद्धतियाँ या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार, और
- (f) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार ।

अधिनियम के प्रावधानों के रूप में 'शिकायतकर्ता' से अभिप्राय है एक उपभोक्ता या पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन । शिकायत व्यक्तिगत भी हो सकती है अथवा समान हितों वाले उपभोक्ताओं के संघ की भी हो सकती है । किसी उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में उसका विधिक उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि शिकायतकर्ता हो सकता है ।

अधिनियम के संदर्भ में, उपभोक्ता ऐसा व्यक्ति है जो किसी सामान को खरीदता अथवा किराए पर लेता या प्रतिफल के लिए सुविधा प्राप्त करता है और उसकी एवज में भुगतान करता है या भुगतान करने का वादा करता है या विलंबित भुगतान की किसी प्रणाली के अधीन केवल अपने उपभोग/लाभ या किसी अन्य के उपभोग/लाभ का वादा करता है । फिर भी पुनर्विक्रय के लिए क्रय की गई वस्तुएँ या किसी अन्य व्यावसायिक उद्देश्य या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ली गई सेवाएँ अधिनियम की परिधि से बाहर रखी गई है ।

अधिनियम के संदर्भ में, एक शिकायत से अभिप्राय है शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप में की गई शिकायत निवारण हेतु कोई शिकायत । शिकायत निम्नलिखित से संबंधित हो सकती है :

- (a) किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार पद्धति;
- (b) उपभोक्ता द्वारा क्रय किए गए या क्रय करने के लिए अनुबंधित किए गए सामान में एक या एक से अधिक दोष;
- (c) व्यापारी अथवा सेवा प्रदाता द्वारा ऐसा मूल्य लेना जो मौजूदा विधि द्वारा निर्धारित, सामान या पैकेजिंग पर अंकित अथवा व्यापारी और खरीददार के बीच सहमति से निर्धारित मूल्य से अधिक है;
- (d) उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई या किराए पर ली गई सेवाओं में किसी प्रकार की कमी; और
- (e) किसी भी ऐसे सामान या सेवा का व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा विक्रय जिसका उपयोग जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है ।

पिछले तीन दशकों की कार्यवाही के दौरान जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर की उपभोक्ता अदालतों ने व्यापक किस्म की उपभोक्ता शिकायतों, जैसे अनुचित व्यापार पद्धतियाँ, दोषपूर्ण सामान की आपूर्ति, आदि पर निर्णय दिए हैं, सबसे महत्त्वपूर्ण है, विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं, जैसे बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, भवन-निर्माण, यातायात, टेलिकॉम, यात्रा और पर्यटन, विद्युत, आदि पर निर्णय दिए हैं तथा उपभोक्ताओं को उचित मामलों में बहुत जरूरी सहायता उपलब्ध कराई है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अधिनियम ने भारत में उपभोक्ता संरक्षण को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया है पर बहुत कुछ प्राप्त करना अभी बाकी है। देश में अनुचित व्यापार पद्धतियाँ और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन अब भी हो रहा है। समय की माँग है कि उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किए जाएँ। इस उद्देश्य से केन्द्र और राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच आपसी तालमेल की आवश्यकता है तथा उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाने के लिए क्रमबद्ध और जोरदार सतत प्रयास करने की आवश्यकता है।

(लगभग 1000 शब्द)

Almost every citizen of this country is either a consumer of goods or services, or both. In view of the sheer numbers involved, consumers should have constituted the strongest lobby in the country and should have been a force to reckon with vis-a-vis-suppliers of goods and providers of services. However, due to absence of cohesiveness and effective organizations to voice their concerns, a consumer in India has, by and large, remained a faceless, voiceless and submissive person, accepting whatever sub-standard goods or services have been offered. Things may have changed slightly in favour of affluent or upper middle class consumers due to some element of competition and choice in the retail sector as markets expanded over the years. However, the condition of average middle class consumers and consumers from poor sections remained, by and large, pitiable with no one to listen to their woes and with practically no mechanism for redressal of their grievances.

In 1976, the Supreme Court of India observed that protection of consumers was the need of the society. It stated : "We hope, the vigilant legislature will activate itself on behalf of the little man and the law and will take quick moving, easily accessible and free-of-cost consumer protection measures."

Though consumer movement began to develop in India in 1960s, it acquired some sort of definite shape in late 1980s. In 1982, an Asian Seminar on Consumer Protection was organized in which 300 delegates from Asian countries participated. Taking this landmark consumer movement into consideration, the then Prime Minister of India included consumer protection in the national programme and it was put on the nation's agenda. For the first time, the need to enact a statute for protection of consumers was recognized. This, eventually, led to introduction of a Bill in the Parliament and enactment of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986). A three-tier structure of the District Consumer Forum, the State-level Commissions and the National Commission for Redressal of Consumer Grievances was put in place by 1988.

The stark reality in our country is that litigation is costly and time consuming for the common man and hence, getting justice is usually a nightmarish experience for him. The Consumer Protection Act has come to the rescue of the common man. It provides fora for relatively inexpensive and speedy justice to the consumers almost at their doorsteps. Initially – almost for two decades – there was no court fee. Now, however, a nominal fee is to be paid while filing a complaint. The complainant need not engage a lawyer and a complaint can be filed through mail. The procedure prescribed for dealing with complaints is relatively simple and technicalities are avoided. Under The Consumer Protection Act, the main objective is to promote and protect the rights of consumers, such as :

- (a) the right to be protected against marketing of goods which are hazardous to life and property;
- (b) the right to be informed about quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods so as to protect consumers against unfair trade practices;
- (c) the right to be assured, wherever possible, of access to a variety of goods at competitive prices;
- (d) the right to be heard and to be assured that consumers' interest will receive due consideration at appropriate fora;
- (e) the right to seek redressal against unfair trade practices or unscrupulous exploitation of consumers, and
- (f) the right to consumer education.

In terms of the provision of the Act, a 'complainant' means a consumer or any registered voluntary association of consumers. The complainant could be an individual or a group of consumers having the same interest. In the event of the death of a consumer, his legal heir or representative can be the complainant.

Under the Act, a consumer is a person who buys any goods or hires or avails of services for a consideration which has been paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment not only for his own consumption/benefit but also for someone else's consumption/benefit. However, goods purchased for resale or for any commercial purpose or services availed of for commercial purpose are outside the ambit of the Act.

In terms of the Act, a complaint means any allegation made in writing by a complainant for redressal of grievances. A complaint could relate to :

- (a) an unfair or restrictive trade practice by any trader or service provider;
- (b) one or more defects in the goods bought or agreed to be bought by the consumer;

- (c) charging of a price by the trader or service provider which is higher than that which is fixed under the prevailing law or is displayed on the goods or its packaging or on a list exhibited by the trader/service provider or even the price agreed upon between the trader and the purchaser;
- (d) deficiency in any respect in the services hired or availed of by the consumer; and
- (e) sale of goods or services by a trader or service provider which can be hazardous to life or safety, when used.

During the preceding three decades, the consumer courts at District, State and National levels have passed judgements on an extensive variety of consumer grievances like unfair trade practices, supply of defective goods and, most importantly, in the area of services being provided by various sectors, such as banking, insurance, medical, housing, transport, telecom, travel and tourism, electricity, etc. providing much needed relief to consumers in deserving cases.

While it can be safely concluded that the Act has provided a vigorous fillip to consumer protection in India, much remains to be achieved. Unfair trade practices and infringement of consumers' rights are still rampant in the country. The need of the hour, therefore, is sustained efforts for increasing consumer awareness. For this purpose, the Central and State governments and non-government organizations need to co-ordinate and channelize their efforts aimed at increasing consumer awareness, vigorously and on sustained basis.

(1000 words approximately)

Q2. निम्नलिखित तालिका द्वारा 2015 – 16 में भारत के विभिन्न स्रोतों से पेयजल का उपयोग करने वाले परिवारों के प्रतिशत का एक राज्य स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण आँकड़ा दर्शाया गया है :

	आवास/यार्ड/ प्लॉट में नल का पानी	सार्वजनिक नल/स्टैंड पाइप	नलकूप/ बोरवेल	बोतल बंद पानी/अन्य परिष्कृत स्रोत	तलीय जल/असंरक्षित खोदे गए कुएँ/ झरने/छोटी टंकी वाली गाड़ी/टैंकर टैंक	अन्य असंरक्षित स्रोत
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
बिहार	4.1	1.7	91.3	1.1	1.7	0.1
उत्तर प्रदेश	10.8	3.2	81.4	0.9	3.5	01
राजस्थान	35.8	13.6	31.2	5.0	14.4	01
नागालैंड	33.0	18.5	8.7	20.3	19.0	04
हिमाचल प्रदेश	68.1	12.0	5.4	9.3	3.9	1.2
पंजाब	63.9	7.7	24.2	3.3	0.8	0.1
गुजरात	68.4	6.7	12.3	3.5	8.8	03

नोट : पेयजल के परिष्कृत स्रोतों में शामिल हैं : (a) आवास/यार्ड/प्लॉट में नल का पानी, (b) सार्वजनिक नल/स्टैंड पाइप, (c) नलकूप/बोरवेल, और (d) बोतल बंद पानी/अन्य परिष्कृत स्रोत ।

पेयजल के अपरिष्कृत स्रोत हैं : (e) तलीय जल/असंरक्षित खोदे गए कुएँ/झरने/छोटी टंकी वाली गाड़ी/टैंकर टैंक, और (f) पेयजल के अन्य असंरक्षित स्रोत ।

पेयजल के परिष्कृत स्रोतों तक पहुँच के स्तरों के संदर्भ में प्रमुख तीन राज्यों को महत्त्व/विशेष बल देते हुए, उन राज्यों को इंगित करते हुए जहाँ पेयजल के अपरिष्कृत स्रोतों से पेयजल का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब के राज्यों में (परिष्कृत अथवा अपरिष्कृत) पेयजल के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करते हुए उपर्युक्त आँकड़ों का विश्लेषण कीजिए; और राज्य, जो अपरिष्कृत स्रोतों से पेयजल का अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं, उनके साथ मुद्दों को उठाने के लिए पृष्ठभूमिक रूप में मंत्रालय में आंतरिक चर्चा के लिए एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कीजिए ।

The following table shows data from a State level household survey in India in 2015 – 16 on the percentage of households using drinking water from different sources :

40

	Piped water into dwelling/ yard/plot	Public tap/ stand pipe	Tube well/bore well	Bottled water/ other improved sources	Surface water/ unprotected dug well/spring/cart with small tank/tanker tank	Other unprotected sources
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Bihar	4.1	1.7	91.3	1.1	1.7	0.1
Uttar Pradesh	10.8	3.2	81.4	0.9	3.5	0.1
Rajasthan	35.8	13.6	31.2	5.0	14.4	0.1
Nagaland	33.0	18.5	8.7	20.3	19.0	0.4
Himachal Pradesh	68.1	12.0	5.4	9.3	3.9	1.2
Punjab	63.9	7.7	24.2	3.3	0.8	0.1
Gujarat	68.4	6.7	12.3	3.5	8.8	0.3

Note : Improved sources of drinking water include (a) piped water into dwelling/yard/plot, (b) public tap/stand pipe, (c) tube well/bore well, and (d) bottled water/other improved sources.

Unimproved sources of drinking water include (e) surface water/unprotected dug well/spring/cart with small tank/tanker tank, and (f) other unprotected sources of drinking water.

Analyze the above data, by appreciating/highlighting the top three States with respect to the level of access to improved drinking water sources; indicating the States where there is an excess use of drinking water from unimproved sources of drinking water, and describing the main sources of drinking water (improved or unimproved) in the States of Uttar Pradesh, Rajasthan and Punjab; and prepare a short note for internal discussion in the Ministry as a backgrounder for taking up the issues with the States which are excessively using drinking water from unimproved sources.

Q3. निम्नलिखित में से किन्हीं *दो* के उत्तर दीजिए :

Attempt any *two* of the following :

- (a) अनेक सांसदों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) ने प्रधान मंत्री/वित्त मंत्री को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस.ए.) के संबद्ध प्रावधानों में संशोधनों के लिए सुझाव दिए हैं जिससे कि नशीली दवाओं का व्यक्तिगत सेवन गैर-आपराधिक माना जाए और अल्प मात्रा में नशीली दवाओं और स्वापक औषधि के निजी उपयोग के लिए कारावास तथा जुर्माने से छुटकारा पाएँ। उनका तर्क है कि नशीली दवाओं के सेवनकर्ताओं को 'पीड़ित' माना जाए, 'अपराधी' नहीं और जेल भेजने या जुर्माना लगाने के बजाय उनको अनिवार्य रूप से पुनर्वास और नशामुक्ति कार्यक्रमों में भेजा जाए।

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अनुभाग अधिकारी के रूप में, सुझाव के पक्ष और विपक्ष का गंभीर विश्लेषण करने के लिए उन सुरक्षा उपायों को स्पष्ट करते हुए जो अपराध का गैर-अपराधीकरण करने की स्थिति में उनके स्थान पर रखे जा सकते हैं, मंत्री के समक्ष मसौदा टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए।

A number of Members of Parliament, eminent persons, experts and NGOs have written letters to the Prime Minister / Finance Minister suggesting amendments to the relevant provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPSA) so as to decriminalize personal use of drugs and do away with imprisonment and fines for personal use of drugs and psychotropic substances in small quantity. They have argued that drug users should be treated as 'victims' and not 'culprits' and should be compulsorily sent to rehabilitation and deaddiction programmes instead of being imprisoned or fined.

As Section Officer in the Department of Revenue, Ministry of Finance, put up a draft note for the Minister critically examining the pros and cons of the suggestion, spelling out the safeguards that may be put in place if the offence is decriminalised.

25

- (b) वृक्षों की कटाई पर व्यापक प्रतिबंध के मद्देनजर कच्चे माल के रूप में काष्ठ-लुगदी की अनुपलब्धता के कारण कागज उद्योग बहुत कठिनाई का सामना कर रहा है। सरकार कागज उद्योग को कच्चे माल के विकल्प के रूप में गेहूँ/चावल का भूसा, आदि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

वन और पर्यावरण मंत्रालय में एक अनुभाग अधिकारी के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों के विचारार्थ एक प्रस्ताव तैयार कीजिए जिसमें पर्यावरण बचाने के लिए ऐसी कागज निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो वैकल्पिक कच्ची सामग्री का उपयोग करेंगी। प्रोत्साहन में सस्ता ब्याज, भूमि का आबंटन, रियायती विद्युत दरें, मशीनों के आयात को सुगम बनाना, वैकल्पिक कच्ची सामग्री की सहज उपलब्धता, आदि शामिल हो सकते हैं।

The paper industry is facing a lot of hardship due to non-availability of wood-pulp as a raw material in the wake of extensive ban on cutting of trees. Government is encouraging paper manufacturing units to use alternative raw material such as wheat / rice straw, etc.

As a Section Officer in the Ministry of Forest and Environment, prepare a proposal for consideration of senior officers for giving incentives for setting up paper manufacturing units using alternative raw material to save the environment. The incentives may include availability of soft loans, allotment of land, concessional electricity tariff, facilitation in importing machinery, easy availability of alternative raw material, etc. 25

- (c) अनेक राज्य स्थानीय युवाओं के लिए राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत तक आरक्षण को अनिवार्य करने वाले विधेयक को या तो प्रस्तावित कर चुके हैं या उसे प्रस्तावित करने की प्रक्रिया में हैं। हालाँकि अग्रणी उद्योग और व्यापार के संघों ने इस पर इस तर्क के साथ अपनी आपत्ति जताई है कि यह संरक्षणवादी और भेदभावपूर्ण है, इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और यह एकल श्रम के रूप में भारत की अनुकूल स्थिति के लाभ को नष्ट कर देगा। उन्होंने औद्योगिक नीति और संवर्धन मंत्रालय के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं जिनमें भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह राज्य सरकारों को उपयुक्त सलाह जारी करे कि वे ऐसे अध्यादेश जारी न करें और यदि कहीं जारी हो गए हैं तो उन्हें रोक लें।

मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी के रूप में अग्रणी उद्योगों और व्यापार संगठनों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों की जाँच करते हुए उपयुक्त कार्यवाही सुझाते हुए एक टिप्पणी प्रस्तुत करें।

A number of States have either brought or are in the process of bringing regulations mandating up to 75% reservation of private sector jobs in the State for local youth. However, associations of industries and business leaders have objected to the move arguing that it sets a bad precedent, is protectionist and discriminatory and will erode India's advantage as a single labour. They have submitted representations to the Ministry of Industrial Policy and Promotion requesting Government of India to issue suitable advisory to State Governments asking them not to issue such regulations or to put such regulations on hold where these have been issued.

As a Section Officer in the Ministry, put up a note examining the representations submitted by associations of industries and business leaders, suggesting a suitable course of action.

25

Q4. निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए :

Attempt any *four* of the following :

- (a) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) व्यापक पैमाने का बार-बार किया गया सर्वेक्षण है जो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपयोग और पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर सूचना प्रदान कर रहा है। 1992 - 93 के प्रथम सर्वेक्षण के बाद से एन.एफ.एच.एस. पाँच दौर के सर्वेक्षण कर चुका है। इन सर्वेक्षणों के विशिष्ट लक्ष्य हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विशेष आँकड़े उपलब्ध कराना, जिनकी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य निकायों द्वारा नीति और कार्यक्रम उद्देश्यों और महत्वपूर्ण उभरते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मुद्दों पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता होती है। मुम्बई का अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) केन्द्रक अभिकरण है जिसके पास सर्वेक्षण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और समन्वयन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। आई.आई.पी.एस. सर्वे के कार्यान्वयन के लिए अनेक क्षेत्र सर्वेक्षण संगठनों (एफ.एस.ओ.) के साथ सहयोग करता है और प्रत्येक एफ.एस.ओ. की जिम्मेदारी है कि वह एन.एफ.एच.एस. के अंतर्गत आने वाले एक या अधिक राज्यों में सर्वेक्षण गतिविधियों का संचालन करे।

सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) की ओर से सर्वेक्षण संचालन को आसान बनाने के लिए संबद्ध निकायों को आवश्यक सहयोग और सहायता उपलब्ध कराने हेतु सभी राज्य एवं संघ शासित सरकारों के मुख्य सचिवों को भेजे जाने वाले डी.ओ. पत्र का मसौदा तैयार कीजिए।

The National Family Health Survey (NFHS) is a large scale, multi-round survey providing information on maternal and child health, nutrition and utilization and quality of health services in India. Since the first survey in 1992 – 93, five rounds of NFHS have been conducted. The specific goals of the survey are to provide specific data on health and family welfare, as needed by the Ministry of Health and Family Welfare and other agencies for policy and programme purposes and to provide information on important emerging health and family welfare issues. The International Institute for Population Science (IIPS), Mumbai, is the nodal agency responsible for providing co-ordination and technical guidance for the survey. The IIPS collaborates with a number of Field Survey Organisations (FSOs) for survey implementation and each FSO is responsible for conducting survey activities in one or more States covered by NFHS.

Prepare a draft d.o. letter from Secretary (Health and Family Welfare) to Chief Secretaries of all States/UT Governments to provide necessary help/assistance to concerned agencies in order to facilitate smooth conduct of the survey.

15

(b) आपके अधीनस्थ कार्यालय के आधिकारिक दौरे के दौरान मंत्रालय में लंबित मुद्दों को आपके संज्ञान में लाया गया था :

- (i) कार्यालय एक किराए के भवन से कार्य कर रहा था जिसके लिए अधिक किराया दिया जा रहा था। कार्यालय भवन निर्माण का प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित था।
- (ii) कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की कमी के कारण उसकी कार्यकुशलता प्रभावित हो रही है। अतिरिक्त पद सृजित करने का प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित था।
- (iii) कार्यालय को एक स्टाफ कार की आवश्यकता थी और इस आशय का एक प्रस्ताव उसके क्रियान्वयन हेतु मंत्रालय के लिए बनाया गया था।

आपने पाया कि इसके परिप्रेक्ष्य में मंत्रालय ने इन सभी प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के समक्ष उठाया है ताकि व्यय की निधियों के अनुमोदन/आबंटन की माँग की जा सके।

व्यय विभाग की एक अंतर विभागीय (ID) टिप्पणी का मसौदा प्रस्तुत करें जिसमें उनसे प्रस्तावों के अनुमोदन में त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया जा सके।

During your official tour to a subordinate office, the following issues pending in the Ministry were brought to your notice :

- (i) The office was functioning from a rented building for which high rent was being paid. Proposal for construction of an office building was pending with the Ministry.
- (ii) The office was grossly understaffed impacting its efficiency. Proposal for creation of additional posts was pending with the Ministry.
- (iii) The office was in need of a staff car, and a proposal to that effect had been made to the Ministry.

You have ascertained that the Ministry, in turn, has taken up all these proposals with the Ministry of Finance, Department of Expenditure, seeking approval/allocation of funds.

Put up a draft of an Inter Departmental (ID) Note to the Department of Expenditure urging them to expedite their approval of the proposals. 15

- (c) आपके मंत्रालय में कार्यरत एक सहायक की पत्नी से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसका पति अत्यधिक शराब का आदि हो चुका है और अपने परिवार, जिसमें वह स्वयं, उसके दो बच्चे और विधवा सास भी शामिल है, का भरण-पोषण नहीं कर रहा है। विद्यालय के शुल्क का भुगतान न कर पाने के कारण एक प्राइवेट स्कूल से उसके बच्चों को विरत होना पड़ा। उसे अपने बच्चों और विधवा सास का भरण-पोषण करने में कठिनाई हो रही है। जब भी भरण-पोषण हेतु राशि के लिए उस पर दबाव डाला जाता है तब उसका पति अकसर उसके और उसके बच्चों के प्रति हिंसात्मक हो उठता है।

संबंधित सहायक को जारी करने के लिए नोटिस का एक उपयुक्त मसौदा प्रस्तुत कीजिए जिसमें यह कारण बताना निर्दिष्ट हो कि उसके आचरण को एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय क्यों न माना जाना चाहिए और यह सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियम, 1957 के अंतर्गत उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ करने के लिए पर्याप्त कारण है जिसमें नियम 11 में निर्दिष्ट दंडों में से एक को लागू करना शामिल है।

A representation has been received from the wife of one of the Assistants working in your Ministry alleging that he is indulging in excessive drinking and is not looking after maintenance of his family comprising herself, her two children and a widowed mother-in-law. Her children had to drop out of a private school due to non-payment of school fee. She was finding it difficult to properly feed the children and the widowed mother-in-law. When pressed for money for maintenance, her husband often resorted to violence against her and her children.

Put up a suitable draft of a notice, to be issued to the concerned Assistant, directing him to show cause why his conduct should not be treated as unbecoming of a government servant and sufficient reason for initiation of departmental action against him under the provisions of the CCS (CCA) Rules, 1957 including imposition of one of the penalties specified in Rule 11 of the said rules.

15

- (d) पिछली कई लिखित और मौखिक चेतावनी के बावजूद कर्तव्य से जान-बूझकर और आदतन अनुपस्थित रहने के कारण आपके मंत्रालय ने एक लिपिक स्तर के कर्मचारी को आरोप-पत्र जारी किया है। आपको उस मामले में जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

एक निश्चित तिथि और समय पर प्रारंभिक सुनवाई हेतु आपके समक्ष पेश होने के लिए आरोपित अधिकारी को एक पत्र का मसौदा तैयार करें जिसमें उसे सूचित हो कि नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने पर बिना किसी सूचना के उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई हो सकती है। आप उसे प्रारंभिक और नियमित सुनवाई में कर्मचारी/संघ के प्रतिनिधि (लेकिन वकील नहीं) की सहायता प्राप्त करने के उसके अधिकार के बारे में भी सूचित कर सकते हैं। पत्र में कृपया यह भी सूचित कीजिए कि नियमित सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान उसे अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह करने और अपने बचाव में सबूत पेश करने की अनुमति दी जाएगी। आपको अपने पत्र की प्रतियाँ भेजनी होंगी : (a) पेशी अधिकारी, उन दस्तावेजों (प्रतिलिपियों सहित) को लाने के लिए कहते हुए जिन पर वह आरोपों को सिद्ध करने के लिए भरोसा करेगा, और (b) अनुशासन प्राधिकरण।

Your Ministry has issued a charge sheet to a clerk grade official for willful and habitual absence from duty despite several verbal and written warnings in the past. You have been appointed as an Enquiry Officer in that case.

Draft a letter to the charge-sheeted official to appear before you for preliminary hearing on specified date and time, informing him that failure on his part to appear in person on the appointed date and time may lead to your proceeding against him ex-parte, without further notice. You may also inform him of his right to take assistance of an employee/union representative (but not a lawyer) at the preliminary and regular hearings. Please also inform him in the letter that he will be permitted to cross-examine prosecution witnesses and produce evidence in his defence during the course of regular hearings. Copies of your letter need to be sent to (a) the Presenting Officer asking him to bring along with him documents (with photo-copies) which he would rely upon to prove charges, and (b) the Disciplinary Authority.

15

- (e) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार बड़े-बड़े शहरों, छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथ स्वच्छता, आदि कोविड-उपयुक्त व्यवहार का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। आजकल स्थानीय बाज़ारों में भीड़-भाड़ सामान्य घटना बन चुकी है। सार्वजनिक जागरूकता की कमी के कारण टीका लगवाने में हिचक की खबरें भी आ रही हैं।

अपने संयुक्त सचिव के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री के विचार के लिए सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों/मुख्य मंत्रियों (जैसा भी मामला हो) को कोविड-उपयुक्त व्यवहार पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए संबोधित एक पत्र का मसौदा तैयार करें। मसौदा पत्र में टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए जा सकने वाले अभिनव कदमों के सुझाव और निर्धारित स्थान (साइट) पर या घर-घर जाकर टीकाकरण, आदि के द्वारा टीके की पहली और दूसरी खुराक को बढ़ाना शामिल हो सकता है।

As per reports received in the Ministry of Health and Family Welfare, people in big cities, small towns and rural areas are not following COVID-appropriate behaviour, such as wearing mask, social distancing, hand hygiene, etc. Overcrowding in local markets has, of late, become a common phenomenon. Also, there are reports of vaccine hesitancy because of lack of public awareness.

Draft a letter, to be put up through your Joint Secretary, for consideration of the Health Minister, addressed to Chief Ministers of all States and Lt. Governors/Chief Ministers (as the case may be) of Union Territories seeking their co-operation in creating awareness among the public on COVID-appropriate behaviour. The draft letter may include suggestions for innovative steps that may be taken to increase awareness about vaccination and upscaling of the first and second doses of vaccination through on-site and door-to-door vaccination, etc.

15

- (f) आप गृह मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। आपके मंत्रालय को लोक सभा सचिवालय से अतारांकित प्रश्न का नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें “पान मसाला” पाउच पर राष्ट्रपति भवन के चित्र छपे होने के कुछ मामलों पर सूचना माँगी गई है। आपके मंत्रालय को लगता है कि प्रश्न की विषय-वस्तु संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 की धारा 3 के प्रावधानों द्वारा अधिक उपयुक्त रूप से कवर की गई है जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रशासित है और गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अपमान की रोकथाम के दायरे में नहीं आता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को संबोधित एक ओ.एम./आई.डी. टिप्पणी का मसौदा प्रस्तुत करें जिसमें मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह प्रश्न के हस्तांतरण को स्वीकार करे और आपके मंत्रालय को सूचित करते हुए लोक सभा सचिवालय को उसकी स्वीकृति के बारे में बताए। गृह मंत्रालय को आपके ओ.एम./आई.डी. नोट की प्रति लोक सभा सचिवालय (प्रश्न शाखा) को पृष्ठांकित करने की आवश्यकता है।

You are posted as Section Officer in the Ministry of Home Affairs. Your Ministry has received a notice of an Unstarred Question from Lok Sabha Secretariat seeking information on certain instances of photographs of Rashtrapati Bhawan printed on “pan masala” sachets. Your Ministry feels that the subject matter of the question is more appropriately covered by the provisions of Section 3 of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 which is administered by the Ministry of Consumer Affairs and does not fall within the ambit of the Prevention of Insults to the National Honour Act, 1971 administered by Ministry of Home Affairs.

Put up draft of an OM/ID Note, addressed to the Ministry of Consumer Affairs, requesting that Ministry to accept transfer of the question and communicate their acceptance to the Lok Sabha Secretariat, under intimation to your Ministry. Copy of your OM/ID Note to the Ministry of Home Affairs needs to be endorsed to the Lok Sabha Secretariat (Question Branch).

15